

1-7-20 पत्रावली आज पेश हुई।

अपील करार सह अपील सूचना के अधीन
क्रियाविधायक 2005 की धारा 19(U) के तहत प्रत्यक्ष
कर लोक सूचना अधिकारी (ADMM) पाली से संबंधित
सूचना उपलब्ध करायें जाने हेतु प्रेषित किया।

इस सम्बन्ध में इस न्यायालय के जरिए पत्रांक
1860-61 के प्रत्यक्ष तलब किया गया जो
28-4-20 के लोक सूचना अधिकारी (ADMM) पाली ने जरिए
पत्रांक 753 दि 11-6-2020 के अकार क्रमा
कि अपील करार के अन्तर्गत सूचना
उत्प्रेषण क्र. लो. सू. अ. 318/2019/485 दि 5-3-20 के
अपील को उपलब्ध करार **गई** इस सम्बन्ध में
फिर भी शिकायत है तो प्रत्यक्ष करार हेतु अपील करार
को अग्रणीतः तलब किया गया जो दो धारा
जरिए क्रमांक 478

1-6-20 तथा 628
26-6-20 के तलब
किया गया, अपील करार वाक्यद तामील अनुप्रेषण
ऐसी स्थिति में लोक सूचना अधिकारी कार्यालय
प्रत्यक्ष के अन्तिम प्रत्यक्ष माने हुए यह माना
गया कि अपील को सूचना प्राप्त हो गई। ऐसे उत्प्रेषण
सम्बन्ध में इसे कुछ नहीं कहा है तथा इस अपील
में आगे कार्यवाही को प्रेषित नहीं होने से सह अपील
निरस्त की जाती है।

पत्रावली इस न्यायालय में भुका
फैसल की जाकर तलब से करार है।

A

जिला कलेक्टर, पाली

